

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमाक/रीडर/2025/3731

दिनांक 16/10/2025

उपवानी प्रकरण श्रीमसहाय बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अ-तयंग धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या - 197/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयनामक लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक
01 /भू.अ./2025 दिनांक 09/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम उदितकान्त पटवार : नाम उदितकान्त
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नुमा खाता संख्या 388, 389, 390 में खातेदार श्रीमसहाय
श्री श्याम के स्थान पर श्रीमसहाय पुत्र श्रीश्याम उर्फ उमा का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का उदितकान्त
उपर्युक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमाक/रीडर/2025/3732,33

दिनांक 17/10/2025

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनाार्थ एवं पालनाार्थ -

- 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनाार्थ।
- 2 पटवारी हल्का उदितकान्त तहसील श्रीमाधोपुर को पालनाार्थ।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

